शिक्षा में समता एवं समावेशन:
नीति से परिवर्तन की ओर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आधारित ज्ञान गौर शृंखला–7

शिक्षा में समता एवं समावेशन: नीति से परिवर्तन की ओर

मुख्य संपादक

नीलिमा गुप्ता

प्रबंध संपादक

अजीत जायसवाल

संपादक

रजनीश अग्रहरि, सावन कुमारी

नवीन सिंह

किताबवाले

नई दिल्ली–110 002

© सम्पादक

शीर्षक : शिक्षा में समता एवं समावेशन:
नीति से परिवर्तन की ओर

सम्पादक : नीलिमा गुप्ता, अजीत जायसवाल, रजनीश अग्रहरि,
सावन कुमारी, नवीन सिंह

संस्करण : 2025

ISBN : 978-93-49531-24-6

मूल्य : 1100/- रुपये

प्रकाशक : **किताबवाले**
7/31, अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली-110002

मुद्रक : इन-हाउस
नई दिल्ली-110002

15

समावेशी शिक्षा में नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की भूमिका

निरंजन सहाय,[1] उज्जवल कुमार सिंह[2]

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) आज वैश्विक मानवाधिकार विमर्श, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक बहुलता की दृष्टि से एक केन्द्रीय अवधारणा बन चुकी है। यह अब केवल एक शैक्षणिक नीति का मसौदा नहीं रह गया, बल्कि यह एक ऐसी बहुआयामी, मानवोचित और लोक-समर्थ शिक्षा प्रणाली की संकल्पना बन गई है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी वर्ग, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, शारीरिक या मानसिक क्षमता अथवा आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, समान अवसर और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो। समावेशी शिक्षा का विचार इस बात को मान्यता देता है कि विविधता (diversity) न केवल शिक्षा की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, बल्कि यह शिक्षा को अधिक सृजनात्मक, लोकतांत्रिक और सहानुभूतिशील बनाती है। यह शिक्षा प्रणाली उन ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को तोड़ने का प्रयास करती है जिनके कारण वंचित समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांगजन, लैंगिक अल्पसंख्यकों, बालिकाओं और अन्य हाशिए पर खड़े समूहों को मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर रखा गया या उनमें उनकी भागीदारी सीमित रही। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी अस्मिता, विशेष आवश्यकता, भाषा, संस्कृति, या सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के आधार पर शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विशाल, विषम और बहुसांस्कृतिक

---

1. आचार्य, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
2. डॉक्टोरल फेलो, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा – भारत, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) एवं शोध छात्र, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

देश में जहाँ एक ओर शिक्षा का संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21A, RTE Act 2009) लागू किया गया है, वहीं दूसरी ओर ज़मीनी हकीकत में शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता और समानता के संदर्भ में गहन विषमताएँ बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ी है, परंतु उनमें आवश्यक भौतिक संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों और समावेशी दृष्टिकोण की गंभीर कमी बनी हुई है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षकों और सहायक उपकरणों का अभाव, बालिकाओं की शिक्षा में सुरक्षा और सामाजिक पूर्वग्रह की बाधाएँ, अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक भेदभाव, तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा का व्यावहारिक खर्च — ये सभी समावेशी शिक्षा के मार्ग में बड़े अवरोध हैं। इन बाधाओं के परिप्रेक्ष्य में केवल राज्य या सरकारी संस्थानों से समावेशी शिक्षा की संपूर्ण सफलता की अपेक्षा करना यथार्थवादी नहीं है। इसके लिए नागरिक समाज (civil society) और निजी क्षेत्र (private sector) की सक्रिय, संगठित और उत्तरदायी भूमिका अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे उन स्तरों पर कार्य कर सकते हैं जहाँ राज्य की पहुँच सीमित या धीमी हो जाती है। नागरिक समाज में वे सभी गैर-सरकारी संगठन, सामुदायिक समूह, धर्म आधारित संस्थाएँ, शैक्षिक आंदोलन, मानवाधिकार मंच और संवेदनशील नागरिक शामिल होते हैं जो समाज में परिवर्तन के लिए कार्यरत रहते हैं। इन संस्थाओं ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई मोर्चों पर सफल हस्तक्षेप किए हैं, जैसे — 'प्रथम' (Pratham) का 'रीड इंडिया' अभियान, जो लाखों बच्चों को साक्षर बना चुका है; 'आजिम प्रेमजी फाउंडेशन' का शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या नवाचार कार्यक्रम; 'टीच फॉर इंडिया' का शहरी निम्नवर्गीय बच्चों में नेतृत्व निर्माण कार्यक्रम; या फिर 'रूम टू रीड' की बालिका शिक्षा पहल — ये सभी उदाहरण हैं कि नागरिक समाज किस तरह से समावेशी शिक्षा की कल्पना को साकार कर सकता है। इसके साथ ही, नागरिक समाज उन तबकों को संगठित और सशक्त करता है जो पहले शिक्षा के अधिकार को अपने लिए प्रासंगिक नहीं मानते थे; वह न केवल सेवा प्रदाता के रूप में, बल्कि नीति-निर्माण में भागीदार, निगरानीकर्ता और जन-जागरूकता प्रसारक के रूप में भी काम करता है। वहीं, निजी क्षेत्र — जिसमें लाभ आधारित शैक्षिक संस्थाएँ, परोपकारी ट्रस्ट, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) ईकाइयाँ, डिजिटल लर्निंग स्टार्टअप्स, और शैक्षणिक नवाचार मंच शामिल हैं — वह संसाधन, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बना सकते हैं। भारत में CSR अधिनियम (2013) लागू होने के बाद शिक्षा पर निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ा है। टाटा ट्रस्ट्स, इंफोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, विप्रो एजुकेशन, एचसीएल फाउंडेशन आदि ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल निर्माण, डिजिटल कक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों

के लिए शिक्षण उपकरणों की दिशा में योगदान दिया है। शिक्षा को डिजिटल माध्यम से पहुँचाने वाले उपक्रमों जैसे बायजूस, खान अकादमी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, और एकस्टेप (EkStep) ने सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक दूरियों को पाटने में सहायक तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा PPP (Public-Private Partnership) मॉडल जैसे शिक्षा पर 'शिक्षा इनिशिएटिव' या 'नालंदा प्रोजेक्ट' में निजी और सरकारी सहयोग से विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे और पाठ्यचर्या सुधार को बल मिला है। यद्यपि निजी क्षेत्र के प्रयासों की आलोचना भी होती रही है — जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण, लाभ प्राथमिकता, और सामाजिक असमानता को बढ़ाने की संभावना — फिर भी यदि उनकी भूमिका को सामाजिक दायित्व, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाए, तो वे समावेशी शिक्षा के एक सशक्त वाहक बन सकते हैं। नागरिक समाज और निजी क्षेत्र, दोनों ही सरकार के पूरक और समालोचक हो सकते हैं; वे उन अंतरालों को भर सकते हैं जहाँ राज्य की पहुँच नहीं है या जहाँ सरकारी योजनाएँ धीमी हैं। इस त्रैतीय मॉडल — राज्य, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की सहभागिता — के माध्यम से ही हम शिक्षा को केवल अक्षरज्ञान या डिग्री-प्राप्ति की प्रक्रिया से ऊपर उठाकर सामाजिक समावेश, संवेदनशीलता और समानता का उपकरण बना सकते हैं। समावेशी शिक्षा का यह मार्ग लंबा, जटिल और बहुस्तरीय है, परंतु यदि इसमें सभी पक्ष — नीतिनिर्माता, समुदाय, शिक्षक, माता-पिता, कॉरपोरेट, और स्वयं विद्यार्थी — समान रूप से भागीदार बनें, तभी हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहाँ "शिक्षा का अधिकार" वास्तव में "सभी के लिए समान अवसर" में रूपांतरित हो सके। अतः यह आवश्यक है कि हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा को केवल नीतिगत दस्तावेजों में सीमित न रखते हुए उसे एक सामाजिक अभियान, नैतिक प्रतिबद्धता और मानवाधिकार के स्वरूप में स्वीकारें, और इसमें नागरिक समाज व निजी क्षेत्र की सहभागिता को नीतिगत रूप से सशक्त और संस्थागत रूप दें।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा केवल विद्यालय में प्रवेश या उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या, शिक्षण-पद्धति, मूल्यांकन और शिक्षण-सहयोग की पुनर्रचना की माँग की जाती है। यह शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार ढालने की माँग करती है कि वह विविधताएँ स्वीकारे, उनके लिए उत्तरदायी बने और उनके साथ न्याय करे। इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 'Education for All (EFA)' के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को 21वीं सदी के शिक्षा सुधारों की आधारशिला बताया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता युक्त और समान शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें लैंगिक समानता, विकलांगता की दृष्टि से सुलभता,

और सामाजिक-आर्थिक समावेश का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG 4) में समावेशी शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया गया — "Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all" — अर्थात् सभी के लिए समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना। यह वैश्विक एजेंडा भारत सहित सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए प्रतिबद्धता का आधार बना।

भारत के संदर्भ में समावेशी शिक्षा की संकल्पना को कई राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों में संस्थागत रूप दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने वाली ऐतिहासिक नीति है, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि "शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता में किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार्य है।" नीति के अनुसार, विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों (Children with Special Needs - CWSN), सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEGs), अनुसूचित जातियों, जनजातियों, बालिकाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और दिव्यांगों के लिए शिक्षा को सुलभ और अनुकूल बनाना राज्य की ज़िम्मेदारी है। नीति में समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, भाषा की बहुलता को सम्मान देने, और छात्रवृत्ति योजनाओं को विस्तार देने की बात कही गई है। इससे पहले, भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान (SSA) 2001 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। SSA ने बालिकाओं, विकलांग बच्चों और अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाए और 2010 के बाद इसे RTE अधिनियम 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act) के साथ एकीकृत किया गया। RTE अधिनियम भारत में शिक्षा को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु में मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। इसकी धारा 3, 4 और 12 विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेश की बात करती हैं। धारा 12(1)(c) के अनुसार, निजी अनुदानित स्कूलों को अपने यहाँ 25% सीटें वंचित और आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। यह शिक्षा को केवल एक सेवा नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत करता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act 2016) भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला एक व्यापक विधिक दस्तावेज है। इसकी धारा 16 और 17 यह निर्देश देती हैं कि सभी शिक्षा संस्थान,

चाहे वे सरकारी हों या निजी, उन्हें दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी; उनके लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, ब्रेल, सांकेतिक भाषा और अन्य अनुकूल तकनीकों की व्यवस्था आवश्यक होगी; और किसी भी दिव्यांग छात्र को प्रवेश, छात्रवृत्ति, या मूल्यांकन में भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा। यह अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक विधिक उत्तरदायित्व बना देता है, न कि केवल एक नीति-सिद्धांत। इसके अलावा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (NCF 2005), शिक्षा में समावेशीकरण हेतु परियोजनाएँ (जैसे IEDSS – Inclusive Education for the Disabled at Secondary Stage), तथा हाल की डिजिटल शिक्षा पहलें जैसे PM eVidya, Diksha Portal, आदि शिक्षा को अधिक समावेशी, तकनीक-सक्षम और बहुस्तरीय बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं।

समावेशी शिक्षा की सफलता केवल विधिक या नीतिगत प्रावधानों से सुनिश्चित नहीं की जा सकती; इसके लिए एक व्यापक सामाजिक चेतना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, समुदाय की भागीदारी, विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। भारत में अभी भी लाखों बच्चे — विशेषकर विकलांग, आदिवासी, शहरी झुग्गी क्षेत्रों के, भाषायी अल्पसंख्यकों या ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित — ऐसे हैं जो या तो स्कूलों से बाहर हैं या मुख्यधारा की शिक्षा में उपेक्षित हैं। UNESCO और Tata Institute of Social Sciences (TISS) की 2020 की रिपोर्ट "State of Inclusion in Indian Education" के अनुसार, विद्यालयों में समावेशी शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षित शिक्षक और सहायक उपकरणों की भारी कमी है। अतः समावेशी शिक्षा को केवल सिद्धांत रूप में नहीं, बल्कि व्यावहारिक रणनीतियों के साथ क्रियान्वित करना आवश्यक है, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण, बजट आवंटन, स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण और अंतर-संस्थागत समन्वय अनिवार्य बनते हैं।

एक ओर जहाँ कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर अनेक संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियाँ अब भी गंभीर रूप में बनी हुई हैं। सबसे पहले, सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act 2009) को लागू किया, जिसके तहत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। इस कानून की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25% सीटें वंचित वर्गों के लिए आरक्षित की गईं। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के लिए विशेष योजनाएँ — जैसे 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना', 'राष्ट्रीय बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना', 'पढ़े बेटियाँ, बढ़ें बेटियाँ', और 'SC/ST छात्रवृत्ति योजनाएँ' — ने शैक्षणिक पहुँच और भागीदारी को बढ़ावा

दिया है। दिव्यांग बच्चों के लिए समायोजित पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षक, और Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage (IEDSS) जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद, समावेशी शिक्षा को कानूनी बल मिला और सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त परिवेश, संसाधन, शिक्षक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएँ। इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और हाल में घोषित नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में समावेशी शिक्षा को मुख्यधारा की अवधारणा के रूप में स्वीकृति दी गई है। नई शिक्षा नीति में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEGs) को विशेष सहायता प्रदान करने, बहुभाषिक शिक्षा, लचीले पाठ्यक्रम और डिजिटल समावेश के माध्यम से सभी वर्गों की पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

इन प्रयासों के बावजूद, भारत में समावेशी शिक्षा के समक्ष कई चुनौतियाँ भी कायम हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। सबसे प्रमुख समस्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण के अभाव की है। समावेशी शिक्षा के लिए केवल विषय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, शिक्षक को विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होता है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। परंतु NCERT और DIET जैसे संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभी भी समावेशी शिक्षा पर व्यापक और अनिवार्य पाठ्यक्रमों की कमी है। UNESCO की 2020 की रिपोर्ट "State of the Education Report for India : Inclusive Education" के अनुसार, भारत के 60% से अधिक शिक्षक समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं से परिचित नहीं हैं या उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है। दूसरी समस्या भौतिक पहुँच (physical access) की है। विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए अनुकूल शौचालय, रैम्प, ब्रेल सामग्री, श्रवण सहायक उपकरण, या व्हीलचेयर की सुविधा नहीं है। 2019 की UDISE+ रिपोर्ट दर्शाती है कि केवल 27% स्कूलों में ही समुचित दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएँ हैं। इससे न केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, बल्कि यह उनके आत्म-सम्मान और स्वायत्तता को भी प्रभावित करता है।

तीसरी चुनौती है सामाजिक कलंक (stigma) और सांस्कृतिक असंवेदनशीलता। कई विद्यालयों में शिक्षक, सहपाठी और यहाँ तक कि अभिभावक भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को "बोझ" या "कमज़ोर" समझते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल छात्रों के सीखने के अवसरों को सीमित करता है, बल्कि उनमें हीन भावना और आत्मग्लानि उत्पन्न करता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के साथ विद्यालयों में भेदभाव की घटनाएँ (जैसे

अलग बैठाना, भोजन में भेदभाव, उपेक्षा) अभी भी सामने आती हैं, जिससे वे स्कूल छोड़ने पर विवश होते हैं। सामाजिक रूढ़ियों, विशेषकर ट्रांसजेंडर और LGBTQ+ विद्यार्थियों के प्रति असहिष्णुता, समावेशी शिक्षा के आदर्शों से विरोधाभास उत्पन्न करती है। चौथी और अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाधा है पाठ्यचर्या में लचीलापन और विविधता की कमी। हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी एकरूपी, बोर्ड-केन्द्रित और बौद्धिक दक्षताओं को प्राथमिकता देने वाली बनी हुई है। यह दृष्टिकोण उन छात्रों को पीछे छोड़ देता है जो व्यवहारिक, श्रव्य-दृश्य, या गतिविधि-आधारित शिक्षण से बेहतर सीख सकते हैं। NEP 2020 इस दोष को पहचानते हुए 'विविध शिक्षण-पद्धतियों', 'होलिस्टिक मूल्यांकन', और 'सीखने के विभिन्न मार्गों' की बात करती है, परंतु इनका व्यावहारिक क्रियान्वयन अब भी प्राथमिक स्तर पर है। NCERT और NIOS जैसी संस्थाओं को चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में बहुभाषिकता, स्थानीय सन्दर्भ, सांस्कृतिक विविधता और विद्यार्थियों की आवश्यकता आधारित अनुकूलन को सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक रूप में भी अपनाएँ।

इन सबके अतिरिक्त, राजकोषीय संसाधनों की सीमाएँ, नीतिगत एकरूपता का अभाव, डिजिटल डिवाइड, अभिभावकों की जागरूकता की कमी, और ड्रॉपआउट दरों में असमानता भी समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान हुए ऑनलाइन शिक्षण में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से वंचित, ग्रामीण और दिव्यांग छात्र पीछे रह गए, क्योंकि उनके पास डिजिटल उपकरण या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा को केवल स्कूल के भीतर नहीं, बल्कि समाज और परिवार की संपूर्ण भागीदारी से ही साकार किया जा सकता है। अतः समावेशी शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय अवश्य हैं, परंतु उन्हें पर्याप्त और प्रभावी बनाने के लिए नीति, समाज और शैक्षणिक ढांचे को समन्वित रूप से और अधिक संवेदनशील, लचीला और उत्तरदायी बनाना होगा, तभी हम वास्तविक अर्थों में समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

नागरिक समाज की भूमिका समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने में अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी रही है। 'नागरिक समाज' (Civil Society) का तात्पर्य ऐसे संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, सामुदायिक मंचों, धर्म-आधारित समूहों और व्यक्तिगत पहलों से है जो सरकार और बाज़ार से स्वतंत्र होते हुए समाज के व्यापक हितों की रक्षा, सामाजिक न्याय, समानता और जागरूकता के लिए सक्रिय रहते हैं। ये संस्थाएँ शिक्षण व्यवस्था के सामाजिक और नैतिक आयामों को गहराई से समझते हुए उन वर्गों की आवाज़ बनती हैं जिन्हें अक्सर औपचारिक प्रणाली में अनसुना कर दिया जाता है। समावेशी शिक्षा जैसी संकल्पना — जिसमें सभी वर्गों, विशेषकर वंचित, दिव्यांग, दलित, आदिवासी,

बालिकाओं, अल्पसंख्यकों और LGBTQ+ विद्यार्थियों को समान अवसर मिलें — तभी साकार हो सकती है जब समाज के विभिन्न हिस्सों में संवेदनशीलता, चेतना और सहभागी दृष्टिकोण विकसित हो, और इसमें नागरिक समाज की भूमिका केंद्रीय हो जाती है। सबसे पहले बात करें नीति प्रभाव और वकालत (Advocacy) की तो नागरिक समाज की संस्थाओं ने समय-समय पर शिक्षा संबंधी नीतियों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई है। उदाहरणस्वरूप, RTE Forum, DISHA Foundation, Child Rights and You (CRY), और NAAC जैसी संस्थाओं ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मसौदे निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा प्रक्रिया में भाग लेकर नीतियों को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने का कार्य किया। RTE Forum ने विशेष रूप से निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण की व्यवस्था (धारा 12(1)(c)) के सफल क्रियान्वयन हेतु कई राज्यों में जनसुनवाइयाँ, रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपना, और समुदायों को शिक्षित करना जैसे कदम उठाए।

दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र जनजागरूकता और सामुदायिक सशक्तिकरण में भी नागरिक समाज संगठनों का योगदान असंदिग्ध रहा है। सामाजिक रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों में जागरूकता और अभिभावकों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक सहभागिता के बिना समावेशी शिक्षा की कल्पना अधूरी है। Campaign for Right to Education, "शिक्षा का अधिकार यात्रा", बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसे आंदोलन और अभियानों ने समाज की उस सोच को बदलने का प्रयास किया जिसमें बालिकाओं, दलितों या दिव्यांगों की शिक्षा को कम महत्त्व दिया जाता था। इन अभियानों ने न केवल सरकारी नीतियों को जनमानस से जोड़ा, बल्कि शिक्षा के प्रति सामाजिक दबाव और नैतिक आग्रह भी निर्मित किया। Lokmitra, Centre for Social Equity and Inclusion (CSEI) जैसी संस्थाएँ समुदाय आधारित 'शिक्षा क्लब' या 'बाल सभा' का संचालन करती हैं, जहाँ बच्चे स्वयं अपनी शिक्षा के अधिकार की जानकारी प्राप्त करते हैं और विद्यालय प्रबंधन से संवाद करते हैं।

क्षमता निर्माण और नवाचार भी नागरिक समाज के प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं। शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम नवाचार, मूल्यांकन की वैकल्पिक विधियाँ, समावेशी शिक्षण पद्धतियाँ—इन सबमें अनेक NGO और फाउंडेशन ने अभिनव योगदान दिए हैं। Pratham, जो भारत के सबसे बड़े शिक्षा NGO में से एक है, ने 'ASER' रिपोर्ट के माध्यम से देश के साक्षरता स्तर की वस्तुनिष्ठ निगरानी कर सरकार का ध्यान सीखने के परिणामों की ओर आकर्षित किया। Azim Premji Foundation ने शिक्षकों की सतत पेशेवर विकास (Continuous Professional Development) हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संसाधन सामग्री और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों की स्थापना की, जिससे सरकारी शिक्षक भी स्थानीय सन्दर्भों में बच्चों को

पढ़ाने की अधिक सक्षमता अर्जित कर सकें। इसी प्रकार, Room to Read, Educate Girls, और Teach For India जैसी संस्थाओं ने समुदाय आधारित बालिकाओं की शिक्षा और बहुभाषिक शिक्षण में प्रभावशाली कार्य किए हैं।

निगरानी और जवाबदेही (Monitoring and Accountability) के क्षेत्र में नागरिक समाज ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ सरकारी संस्थाएं प्रायः अपने कार्यों की स्वयं निगरानी करती हैं, वहीं नागरिक समाज द्वारा प्रस्तुत की गई स्वतंत्र रिपोर्टें, जनसुनवाइयाँ, और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audits) ने समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की माँग को बल दिया है। Accountability Initiative (Centre for Policy Research) की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि शिक्षा क्षेत्र में संसाधनों के आवंटन और उपयोग में नागरिक निगरानी से सकारात्मक परिवर्तन संभव हुआ है। Social Accountability Forums और Community Score Cards जैसी तकनीकों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को विद्यालयों के संचालन में भागीदारी का अवसर दिया गया, जिससे 'स्कूल को समुदाय के भीतर पुनःस्थापित' करने की दिशा में ठोस कदम उठे।

इसके अतिरिक्त, नागरिक समाज ने शिक्षा के डिजिटल समावेशन, बहुभाषिक पाठ्य सामग्री, बाल श्रम उन्मूलन, विद्यालय-पूर्व शिक्षा, और ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े मुद्दों को भी समावेशी शिक्षा के दायरे में लाकर उसका विस्तार किया है। उदाहरण के लिए, Sangath और VIDYA जैसी संस्थाएँ मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग और बाल-मनोविज्ञान के क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जिससे विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नागरिक समाज न केवल एक सहयोगी शक्ति है, बल्कि वह समावेशी शिक्षा के मूल्य—समानता, न्याय, विविधता और सहभागिता—का जीवंत प्रतिनिधित्व करता है। इन संस्थाओं के सक्रिय योगदान के बिना समावेशी शिक्षा मात्र एक नीति-दस्तावेज बनकर रह जाएगी, न कि एक सजीव सामाजिक यथार्थ। अतः यह आवश्यक है कि सरकार नागरिक समाज के प्रयासों को समर्थन दे, संसाधन साझा करे, और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय भागीदार बनाए ताकि समावेशी शिक्षा एक साझा सामाजिक संकल्प के रूप में साकार हो सके।

निजी क्षेत्र की भूमिका समावेशी शिक्षा के विकास में आज एक सशक्त और प्रभावशाली पक्ष बन चुकी है। परंपरागत रूप से शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी माना गया था, लेकिन वैश्वीकरण, उदारीकरण और नई आर्थिक नीतियों के बाद शिक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ी है। निजी क्षेत्र में वे सभी संगठन, संस्थाएँ और इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं जो लाभ-आधारित (for-profit) या गैर-लाभकारी (not-for-profit) ढाँचे में कार्य करते हैं—जैसे निजी विद्यालय, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की पहलें, परोपकारी ट्रस्ट,

एड-टेक स्टार्टअप और परामर्शदाता संस्थान। समावेशी शिक्षा में निजी क्षेत्र का योगदान कई स्तरों पर देखा जा सकता है। सबसे पहले, CSR के अंतर्गत शिक्षा निवेश के क्षेत्र में अनेक अग्रणी कंपनियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। Infosys Foundation, Tata Trusts, Reliance Foundation, Bharti Foundation, और Wipro Cares जैसी संस्थाओं ने बालिकाओं की शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा विस्तार, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सामग्री, और पुस्तकालय-संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय निवेश किया है। टाटा ट्रस्ट ने 'Connected Learning Initiative' (CLIx) जैसी परियोजनाएँ शुरू कीं जिनमें ICT आधारित शिक्षण को सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाया गया।

दूसरे, डिजिटल समावेशिता और तकनीकी समाधान में निजी क्षेत्र का योगदान 21वीं सदी की शिक्षा को नया आकार देने वाला सिद्ध हुआ है। Byju's, Khan Academy, EkStep, Coursera, Vedantu और Toppr जैसे एडटेक स्टार्टअप ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-सामग्री को डिजिटल रूप में मुफ्त या सुलभ मूल्य पर उपलब्ध कराया, जिससे ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को समान ज्ञान तक पहुँच मिली। Microsoft India, Google for Education, और IBM जैसी तकनीकी कंपनियों ने 'Accessibility' आधारित समाधानों पर विशेष ध्यान दिया है—जैसे स्क्रीन रीडर, AI आधारित Braille किट, विकलांग छात्रों के लिए संवादात्मक शिक्षा ऐप आदि। विशेष रूप से महामारी के दौरान डिजिटल विभाजन को पाटने में इन तकनीकी प्रयासों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे, सार्वजनिक-निजी सहभागिता (PPP) की संरचनाएँ, जहाँ सरकारी और निजी क्षेत्र साझेदारी में कार्य करते हैं, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए, Shiksha Initiative (NASSCOM Foundation), Teach for India, और Adopt a School Programme जैसे मॉडल PPP आधारित परियोजनाएँ हैं, जो शिक्षक प्रशिक्षण, अधोसंरचना सुधार, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु काम कर रही हैं। Teach for India की पहल से सैकड़ों युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया है, जिनका कार्य विशेष रूप से वंचित समुदायों के बच्चों के साथ केंद्रित होता है।

हालाँकि, इन योगदानों के बावजूद नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की कुछ आलोचनात्मक सीमाएँ भी हैं। नागरिक समाज की संस्थाएँ प्रायः विदेशी या कॉर्पोरेट अनुदान पर निर्भर होती हैं, जिससे उनकी सततता और स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। साथ ही, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालन की असमानता तथा सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय की जटिलताएँ इनकी पहुँच को सीमित करती हैं। वहीं, निजी क्षेत्र पर यह आरोप लगता है कि उसने शिक्षा को 'सेवा' से 'उत्पाद' में बदल दिया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण, लाभ केंद्रित रणनीतियाँ, और बहिष्करण की प्रवृत्ति ने सामाजिक असमानता को और बढ़ाने का जोखिम उत्पन्न

किया है। Oxfam India (2021) की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में निजी स्कूलों की फीस में वृद्धि और प्रवेश नीतियों की अपारदर्शिता ने सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा को कठिन बना दिया है। कुछ शोध, जैसे "Private Sector Participation in Indian School Education" (Brookings India, 2019), यह संकेत करते हैं कि PPP मॉडल यदि पारदर्शी और जवाबदेह न हो तो यह सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को हानि पहुँचा सकता है।

इन आलोचनाओं के बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि निजी और नागरिक समाज क्षेत्र की भागीदारी के बिना समावेशी शिक्षा की संकल्पना को व्यापक स्तर पर लागू करना संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों क्षेत्रों की भागीदारी समानता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के मूल्यों पर आधारित हो। सरकार को चाहिए कि वह नीति निर्माण में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करे, गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करे, और संसाधन साझा करने की व्यवस्था बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही इन विविध शक्तियों का समन्वय ही समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को सामाजिक यथार्थ में बदल सकता है।

समावेशी शिक्षा के सफल मॉडल और भविष्य की दिशा में कुछ उल्लेखनीय उदाहरण और रणनीतियाँ उभरकर सामने आई हैं जिन्होंने व्यावहारिक स्तर पर प्रभावशाली परिवर्तन किए हैं। Pratham Education Foundation द्वारा चलाया गया 'Read India' अभियान भारत के सबसे सफल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक है, जिसने लाखों बच्चों को बुनियादी पठन-लेखन और गणना कौशल में दक्ष बनाया। इसकी ASER रिपोर्ट (Annual Status of Education Report) देश में सीखने के स्तर को समझने का सबसे विश्वसनीय स्रोत बन चुकी है। Azim Premji Foundation ने शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या नवाचार और सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक वातावरण के सुधार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जिससे समावेशिता और गुणवत्ता दोनों को बल मिला है। Room to Read ने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा में निवेश करके बालिकाओं की स्कूली शिक्षा को स्थायित्व प्रदान किया, जबकि Teach for India ने शहरी निम्नवर्गीय क्षेत्रों में शिक्षण के लिए युवा नेतृत्व का निर्माण कर शिक्षा में सामाजिक समानता की स्थापना की दिशा में कार्य किया। वहीं, Tata STRIVE जैसे कार्यक्रमों ने समावेशी व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करके युवाओं को रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन दिया। भविष्य की दिशा की बात करें तो स्पष्ट है कि त्रैतीय साझेदारी (Tri-sectoral partnership) — जिसमें सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की समवेत भागीदारी हो — के बिना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य अधूरा रहेगा। साथ ही प्रौद्योगिकी का समावेश, विशेषकर डिजिटल अंतर को पाटना, दूरदराज़ और वंचित समुदायों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने में आवश्यक

होगा। समावेशी पाठ्यक्रम, बहुभाषिक शिक्षा नीति, और निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण जैसे कदम दीर्घकालिक सुधार का आधार बनेंगे। अंततः, सामाजिक कलंक और पूर्वाग्रहों को मिटाने हेतु सामाजिक जागरूकता अभियानों को अधिक व्यापक और स्थानीय सन्दर्भों से जोड़ना होगा, जिससे समावेशी शिक्षा एक व्यवहारिक और स्वीकार्य सामाजिक मूल्य बन सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. **UNESCO.** *Global Education Monitoring Report 2020 : Inclusion and Education – All Means All.* UNESCO Publishing, 2020, https : //www.unesco.org/reports/global-education-monitoring-report/2020/inclusion.
2. **Government of India.** *The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act).* Ministry of Law and Justice, 2009, https : //legislative.gov.in/sites/default/files/A2009-35.pdf .
3. **Azim Premji Foundation.** *Educational Initiatives.* www.azimpremjifoundation.org. Accessed 17 June 2025.
4. **Pratham Education Foundation.** *Annual Status of Education Report (ASER).* www.pratham.org. Accessed 17 June 2025.
5. **Teach for India.** *Mission and Impact.* www.teachforindia.org. Accessed 17 June 2025.
6. **Tata Trusts.** *Education Initiatives.* www.tatatrusts.org. Accessed 17 June 2025.
7. **Singh, R.** "Inclusive Education in India : Concept, Need and Challenges." *Educational Quest : An International Journal of Education and Applied Social Science*, vol. 10, no. 3, 2019, pp. 245–250.
8. **Jha, Madan Mohan.** *Inclusive Education for the Disabled in India.* UNESCO, 2002.
9. **Nambissan, Geetha B.** "Private Schools for the Poor : Business or Charity?" *Economic and Political Weekly*, vol. 48, no. 41, 2013, pp. 51–58.
10. **Oxfam India.** *India Inequality Report 2021 : Digital Divide.* Oxfam India, 2021, https : //www.oxfamindia.org/knowledgehub/workingpaper/india-inequality-report-2021-digital-divide.
11. **Brookings Institution India Center.** "Private Sector Participation in Indian School Education." *Brookings India Impact Series*, 2019, www.brookings.edu.

12. **Ministry of Education, Government of India.** *National Education Policy 2020.* https : //www.education.gov.in/en/nep2020.
13. **MHRD (Ministry of Human Resource Development).** *Guidelines for Public-Private Partnership in School Education.* Government of India, 2020.
14. **Room to Read India.** *Girls' Education Program Impact Review.* Room to Read, 2021, www.roomtoread.org.
15. **India CSR Network.** "Role of CSR in Promoting Inclusive Education." *India CSR Journal*, 2023, https : //indiacsr.in.